तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./2804/2006/धौलपुर सरकार बनाम भोपतिया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
डॉ महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः
श्री शिव प्रकाश चौधरी, उप–राजकीय अभिभाषक प्रार्थी।
विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–––––

दिनांकः–02.12.2025

–: आदेश :–

यह रेफरेन्स धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 15/2000 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.06 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को अभिशंषित किया गया है।

2– संक्षिप्त में रेफरेन्स के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार सैपउ द्वारा एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया गया कि मुताबिक गजट नोटिफिकेशन साबिक खसरा नम्बर 1211 वाके ग्राम दौनारी रकबा 10 बिस्वा क0 सं 255 पर Pious Religious Charitable and for burial of Muslim dead bodies. वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 1211 का हाल खसरा नम्बर 1899 रकबा 19 बिस्वा किस्म नहरी अलिफ वाके ग्राम दौनारी के खातेदार भोपतिया पुत्र गुटई हिस्सा 1/2 रमेश नावा0 व सरपरस्ती मु0 जाविसी बेवा विपति मां खुद व कोमल पुत्र सोना हि0 1/2 कौम भंगी साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त प्रतिवादीगण द्वारा उच्चाधिकारियों से मिल कर साबिक खसरा नम्बर 1211 रकबा 10 बिस्वा जिसका कि हाल खसरा 1899 रकबा 19 बिस्वा बना है अपने नाम दर्ज रिकार्ड करवा लिया है। उक्त प्रतिवादी द्वारा खसरा नम्बर 1899 में से 8 बिस्वा भूमि जो वक्फ सम्पत्ति है को अवैध रूप से अपने नाम करा ली है। अतः उक्त भूमि को वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./2804/2006/धौलपुर सरकार बनाम भोपतिया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3– अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपने आदेश/निर्णय दिनांक 18–03–2006 के द्वारा रेफरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल को अनुशंसा हेतु प्रेषित किया है। 4– उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया परन्तु बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। 5. हमने विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। 6– विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मुताबिक गजट नोटिफिकेशन साबिक खसरा नम्बर 1211 रकबा 10 बिस्वा क्र0सं0 255 पर Pious Religious Charitable and for burial of Muslim dead bodies वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज है। खसरा नम्बर 1211 का हाल खसरा नम्बर 1899 रकबा 19 बिस्वा किस्म नहरी अलिफ वाके ग्राम दोनारी के खातेदार भोपतिया पुत्र गुटई हि0 1/2 रमेश नावा0 व सरपरस्ती मु0 जावित्री मां0 खुद खातेदार दर्ज रिकार्ड है जिन्होनें राजस्व अधिकारियों से मिल कर खसरा नम्बर 1211 साबिक जिसका रकबा 10 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1899 रकबा 19 बिसवा बना है अपने नाम दर्ज करवा लिया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा 1899 में से 8 बिस्वा रकबा वक्फ सम्पत्ति को अवैध रूप से अपने नाम करा लिया है जिसको वक्फ सम्पत्ति घोषित किया जावे। 7– हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2054–57 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम दोनारी में स्थित खाता संख्या नया 223 में खसरा संख्या 1899 रकबा 19 बिस्वा भूमि भोपतिया पुत्र गुटई एवं रमेश ना0बा0 मु0 जावित्री व अन्य के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल मिलान क्षेत्रफल संलग्न है जिसके अनुसार गत खसरा नम्बर 1211 मि0 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि के हाल खसरा नम्बर 1899 रकबा 19 बिस्वा कायम हुए है। इसके अलावा पत्रावली के साथ बयनामा संलग्न है। सम्बंधित गजट नोटिफिकेशन संलग्न है जिसके अनुसार क्रम संख्या 255 पर प्रश्नगत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./2804/2006/धौलपुर सरकार बनाम भोपतिया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी को Pious Religious Charitable and for burial of Muslim dead bodies. वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी पूर्व में वक्फ सम्पत्ति थी जिसे अप्रार्थीगण की नाम दर्ज कर दिया गया। 8. परिणामस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम दोनारी में स्थित खसरा नम्बर 1899 में से 8 बिस्वा भूमि को पुनः वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	